



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 831) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

7 अक्टूबर 2016

एस०ओ० 263, दिनांक 7 अक्टूबर 2016—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा-13 की उप-धारा (3) तथा उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।— (1) यह नियमावली केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 04.07.2012 की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 में संशोधन।—केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

“9 प्राधिकारी जिनसे घोषणापत्र प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे प्रपत्रों के उपयोग, अभिरक्षा एवं अभिलेखों का संधारण और इसके अतिरिक्त प्रासंगिक मामले—(1) इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, इस बावत निर्गत अधिसूचना द्वारा, धारा-5 की उप-धारा (3), या धारा-6 की उप-धारा (2), या धारा-6क की उप-धारा (1), या धारा-8 की उप-धारा (4) के खंड (क), या धारा-8 की उप-धारा (8) के अधीन विहित किसी घोषणा-पत्र अथवा, यथास्थिति, प्रमाण-पत्र, प्राप्त करने की रीति तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों जिसके अधीन उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, तथा इनके संशोधन एवं रद्दीकरण की रीति विहित कर सकेगा।

परन्तु यह कि इस उप-नियम के अधीन निर्गत अधिसूचना में वह रीति जिससे ऐसे प्रपत्र मुद्रित, निर्गत एवं अभिरक्षा में रखे जाएंगे और वह रीति जिससे ऐसे किसी प्रपत्र का उपयोग किया जा सकेगा और ऐसा कोई प्रमाण-पत्र या घोषणा दी जा सकेगी, विहित की जा सकेगी।

परन्तु आगे यह कि आयुक्त द्वारा विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत किसी घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र के संशोधन एवं रद्दीकरण की रीति मात्र वैसे घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र के सम्बंध में विहित की जायेगी जो दिनांक 10 अक्टूबर 2015 के पूर्व निर्गत हुए हों।

(1)(क) क्रेता व्यवसायी के निबंधन प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियम के अन्तर्गत एक निबंधित व्यवसायी द्वारा दूसरे को माल की बिक्री पर लागू कर की दरों का भुगतान करके कोई निबंधित व्यवसायी दूसरे ऐसे व्यवसायी से माल खरीदना चाहता हो तो, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर

उपायुक्त से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (4) में विहित घोषणा-पत्र प्राप्त करेगा और इसे विक्रेता व्यवसायी को प्रदान करेगा। विक्रेता व्यवसायी को घोषणा-पत्र प्रदान करने से पूर्व क्रेता व्यवसायी या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रपत्र के सभी आवश्यक विवरण भरेगा और इस उद्देश्य हेतु प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेगा। उसके बाद क्रेता व्यवसायी द्वारा प्रपत्र का अधपन्ना रख लिया जायेगा और प्रमाण-पत्र का "मूल" एवं "द्वितीयक" छपा हुआ अन्य दो भाग विक्रेता व्यवसायी को दिया जायेगा।

परन्तु यह कि निबंधित व्यवसायी द्वारा प्रपत्र की आपूर्ति हेतु किये जा रहे आवेदन के समय यदि किसी विवरणी या संशोधित विवरणी तथा इसके साथ ऐसे विवरणी या संशोधित विवरणी के अनुसार उनके कर बकाया का भुगतान दर्शाने वाला चालान या रसीदी चालान दाखिल करने में चूक की गयी हो, वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी द्वारा कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके तथा उन्हें सुनवाई का एक उचित मौका प्रदान करते हुए, ऐसे प्रपत्र का निर्गमन ऐसे समय तक रोक लिया जायेगा, जब तक कि वह ऐसे विवरणी या संशोधित विवरणी तथा इसके साथ ऐसे विवरणी या संशोधित विवरणी के अनुसार उनके कर बकाया का भुगतान दर्शाने वाला चालान या रसीदी चालान दाखिल नहीं कर देता हो।

(2)(क) कोई निबंधित व्यवसायी जो दूसरे निबंधित व्यवसायी को बिक्री करने का दावा करता हो, ऐसे दावों के समर्थन में क्रेता व्यवसायी से प्राप्त किये गये घोषणा-पत्र का "मूल" छपा हुआ भाग विवरणी प्रपत्र I के साथ संलग्न करेगा या उक्त घोषणा-पत्र को प्रथम कर निर्धारण पदाधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय तक समर्पित करेगा।

परन्तु यह कि वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी संतुष्ट हों कि संबंधित व्यक्ति को समुचित कारणों से ऐसे घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र को पूर्वोक्त समय के अधीन प्रस्तुत करने से रोका गया है, वह प्राधिकारी ऐसे घोषणा-पत्रों को इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि वह प्राधिकार नियत करता हो, के अंदर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

परन्तु यह कि जब एक क्रय आदेश के विरुद्ध माल की आपूर्ति किस्तों में की जाती है और एक अवधि की विवरणी के साथ सम्पूर्ण आदेश से आच्छादित एक घोषणा-पत्र प्रपत्र 'सी' दाखिल कर दिया जाता है तो उसी संव्यवहार के संबंध में बाद के अवधि की विवरणी के साथ घोषणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है यदि बाद के अवधि की विवरणी के साथ दाखिल विवरण में पिछली विवरणी अथवा घोषणा-पत्र का संदर्भ दिया हुआ है।

(ख) विक्रेता व्यवसायी भी क्रेता व्यवसायी से प्राप्त प्रत्येक ऐसे घोषणा-पत्र का पूर्ण लेखा कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार एक पंजी प्रपत्र II A में संधारित करेगा।

(ग) कर निर्धारण प्राधिकारी स्वविवेक से विक्रेता व्यवसायी को "द्वितीयक" छपा हुआ घोषणा-पत्र का भाग जाँच हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।

(3) क्रेता व्यवसायी द्वारा वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को आवेदन देकर या ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किया गया प्रपत्र, जिसे उप-नियम (10) के अन्तर्गत वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा अमान्य या अप्रचलित नहीं किया गया हो, के अलावा किसी अन्य प्रपत्र में क्रेता व्यवसायी न तो कोई घोषणा पत्र देगा और न ही उसे विक्रेता व्यवसायी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(4) वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त से प्राप्त प्रत्येक घोषणा-पत्र को निबंधित व्यवसायी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और वह ऐसे किसी प्रपत्र के नुकसान, नष्ट होने या चोरी के लिए अथवा ऐसे नुकसान, नष्ट होने या चोरी के फलस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व की होनेवाले क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

(5) प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा-पत्र निर्गत किया गया हो, ऐसे सभी प्रपत्रों का सही एवं पूर्ण लेखा एक पंजी प्रपत्र-II में संधारित करेगा। अगर ऐसा कोई प्रपत्र नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाय तो व्यवसायी वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को तुरंत इस तथ्य की जानकारी देगा, पंजी प्रपत्र-II के टिप्पणी कॉलम में उचित प्रविष्टि करेगा और नुकसान, नष्ट या चोरी होने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए वैसा कदम उठायेगा जैसा कि वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा निदेशित किया जाय।

(6) निबंधन प्रमाण पत्र के रद्दीकरण पर निबंधित व्यवसायी के भंडार में बचा हुआ कोई उपयोग नहीं किया गया घोषणा-पत्र वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित कर दिया जायेगा।

(7) उप-नियम (1)(क) में निर्दिष्ट प्रयोजन को छोड़कर, कोई निबंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा-पत्र निर्गत किया गया हो, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसे दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा।

- (8) घोषणा-पत्र जिसका ब्यौरा आयुक्त द्वारा उप-नियम (9) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया हो, उप-नियम (1)(क) के प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा।
- (9) आयुक्त ऐसे घोषणा-पत्र का विवरण जो उप-नियम (5) के अन्तर्गत नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाना प्रतिवेदित हो या आयुक्त की राय में जिनके दुरुपयोग की आशंका हो, को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगा।
- (10)(क) आयुक्त अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से, किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा-पत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित कर सकेगा।
- (ख) आयुक्त अन्य राज्य सरकारों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु इस उप-नियम के खंड (क) में घोषित अमान्य एवं अप्रचलित घोषणा-पत्रों के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध करा सकेगा।
- (11) जब किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा-पत्र को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित करने हेतु उप-नियम (10) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित किया गया हो, तो सभी निबंधित व्यवसायी उस तिथि को या उस तिथि से पूर्व जब से प्रपत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित किया गया है, उस श्रृंखला, डिजाईन या रंग के उपयोग नहीं किये गये घोषणा-पत्र, जो उनके स्वामित्व में हैं, को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित करेगा एवं अमान्य तथा अप्रचलित घोषणा-पत्रों के स्थान पर प्रतिस्थानिक नया प्रपत्र प्राप्त करेगा।

परन्तु यह कि व्यवसायी को तब तक नया प्रपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा जब तक उसे जारी पुराने प्रपत्रों का संतोषजनक लेखा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता हो एवं उपयोग नहीं किये गये घोषणा-पत्र, यदि कोई हो तो, को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को वापस नहीं कर दिया जाता हो।”

**3. केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9क में संशोधन।—**केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9क को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

“9क प्रमाण-पत्र प्रपत्र E-I एवं E-II के रिकार्ड का उपयोग, अभिरक्षा, रख-रखाव इत्यादि—

- (1) एक निबंधित व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी परावर्ती बिक्री की बावत कर से छूट का दावा करता हो, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली के नियम 12 के उप-नियम (2) में विहित प्रपत्र E-I या E-II, जैसी स्थिति हो, में निबंधित व्यवसायी जिनसे वह माल खरीदा हो, से प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।
- परन्तु यह कि ऐसे मामले जहाँ एक प्रमाण-पत्र से आच्छादित कुल राशि रु० पाँच हजार से अधिक नहीं हो या ऐसी कोई अन्य राशि, जैसा आयुक्त शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, को छोड़कर, कोई एक प्रमाण-पत्र एक से अधिक बिक्री संव्यवहार से आच्छादित नहीं होगा।
- (2) प्रपत्र E-I का प्रयोग धारा 6 के उप-धारा (2) के अधीन विमुक्त बिक्री, जो पहली बिक्री को तुरन्त अनुगमन करता हो, के संबंध में किया जायेगा एवं प्रपत्र E-II का प्रयोग अन्य सभी परावर्ती बिक्री जो उक्त उप-धारा के अन्तर्गत विमुक्त हैं, के संबंध में किया जायेगा।
- (3) उप-नियम(1) के प्रयोजनार्थ एक निबंधित व्यवसायी वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी से अपनी आवश्यक सीमा तक प्रपत्र E-I या E-II, जैसी स्थिति हो, प्राप्त करेगा एवं उक्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रत्येक ऐसे प्रपत्र का सत्य एवं पूर्ण लेखा उक्त व्यवसायी कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार एक पंजी प्रपत्र IV में संधारित करेगा।
- (4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निबंधित क्रेता व्यवसायी को देने के पूर्व, निबंधित विक्रेता व्यवसायी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रमाण-पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरेगा एवं इस उद्देश्य हेतु प्रमाण-पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना सामान्य हस्ताक्षर अंकित करेगा एवं प्रमाण-पत्र का अधपन्ना निबंधित विक्रेता व्यवसायी द्वारा रख लिया जायेगा और प्रमाण-पत्र का “मूल” एवं “द्वितीयक” छपा हुआ अन्य दो भाग निबंधित क्रेता व्यवसायी को दिया जायेगा।
- (5)(क) निबंधित व्यवसायी जो यह दावा करता हो कि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन दूसरे निबंधित व्यवसायी को की गयी उसकी परावर्ती बिक्री कर योग्य नहीं है, ऐसे दावे के समर्थन में अपनी विवरणी प्रपत्र I के साथ निबंधित व्यवसायी जिससे उसने माल खरीदा है, से प्राप्त प्रपत्र E-I या E-II, जैसी स्थिति हो, एवं निबंधित व्यवसायी जिसको उसने परावर्ती बिक्री की है, से प्राप्त धारा 8 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र संलग्न करेगा।
- (ख) प्राप्त किये गये ऐसे सभी प्रपत्रों का सत्य एवं पूर्ण लेखा विक्रेता व्यवसायी कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार पंजी प्रपत्र IV में संधारित करेगा।
- (ग) वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी स्वविवेक से प्रपत्र E-I या E-II प्रमाण-पत्र की “द्वितीयक” प्रति जाँच हेतु प्रस्तुत करने की निबंधित विक्रेता व्यवसायी से अपेक्षा कर सकता है।

6. आयुक्त द्वारा अप्रचलित एवं अमान्य घोषित नहीं किये गये तथा वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी को आवेदन देकर प्राप्त प्रपत्र के अलावा, प्रपत्र E-I या E-II में कोई प्रमाण-पत्र न तो किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा दिया जायेगा और न ही किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा इसे स्वीकार किया जायेगा।
7. इस नियम में अन्यथा लागू प्रावधानों को छोड़कर, नियम 9 के उप-नियम (4) से (11) में निर्दिष्ट घोषणा प्रपत्र से संबंधित प्रावधान प्रपत्र E-I एवं E-II के प्रमाण-पत्र से संबंधित मामलों में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

4. केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9ग में संशोधन-केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9ग को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा-

**“9ग प्राधिकारी जिनसे घोषणा-पत्र ‘F’ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे प्रपत्रों के उपयोग, अभिरक्षा एवं अभिलेखों का संधारण और इसके अतिरिक्त प्रासंगिक मामले -**

- (1) एक निबंधित व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 6 क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी बिक्री की बावत कर से छूट का दावा करता हो, केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उप-नियम (5) में विहित प्रपत्र F में विधिवत भरा हुआ घोषणा-पत्र, ऐसे प्रपत्र द्वारा आच्छादित वस्तु को प्रदत्त करने वाले राज्य के स्थानांतरी के दूसरे स्थान के व्यवसाय के प्रधान अधिकारी या उनके एजेंट या स्वामी, जैसी स्थिति हो, से प्राप्त करेगा।
- (2) केन्द्रीय बिक्री कर (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली, 1957 के नियम 12 के उप-नियम (5) में निर्दिष्ट घोषणा-पत्र विक्रेता व्यवसायी को देने के पूर्व, क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी, जैसी स्थिति हो, या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरेगा एवं इस उद्देश्य हेतु प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेगा।
- (3) क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी, जैसी स्थिति हो, द्वारा इस प्रपत्र का अधपन्ना रख लिया जायेगा और “मूल” एवं “द्वितीयक” छपा हुआ अन्य दो भाग विक्रेता व्यवसायी या स्थानांतरणकर्ता, जैसी स्थिति हो, को दिया जायेगा।
- (4) कोई निबंधित व्यवसायी जो अधिनियम की धारा 6 क की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी बिक्री की बावत कर से छूट का दावा करता हो, ऐसे दावे के समर्थन में ऐसे प्रपत्र द्वारा आच्छादित वस्तु को प्रदत्त करने वाले राज्य के स्थानांतरी से प्राप्त किया गया घोषणा-पत्र प्रपत्र F का “मूल” छपा हुआ भाग विवरणी प्रपत्र I के साथ संलग्न करेगा या उक्त घोषणा-पत्र को प्रथम कर निर्धारण पदाधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय के पूर्व तक समर्पित करेगा।
- (5) विक्रेता व्यवसायी या स्थानांतरणकर्ता, स्थानांतरी से प्राप्त प्रत्येक ऐसे घोषणा-पत्र का पूर्ण लेखा कालक्रमबद्ध एवं क्रमानुसार दोनों एक पंजी प्रपत्र VI A में संधारित करेगा।
- (6) कर निर्धारण प्राधिकारी स्वविवेक से विक्रेता व्यवसायी या स्थानांतरणकर्ता को “द्वितीयक” छपा हुआ घोषणा-पत्र का भाग जाँच हेतु प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।
- (7) आयुक्त द्वारा उप-नियम (14) के अधीन अप्रचलित एवं अमान्य घोषित नहीं किये गये एवं वाणिज्य-कर उपायुक्त, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर पदाधिकारी को आवेदन देकर क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी द्वारा प्राप्त किसी घोषणा-पत्र के अलावा कोई प्रमाण-पत्र न तो किसी क्रेता व्यवसायी या स्थानांतरी, जैसी स्थिति हो, द्वारा दिया जायेगा और न ही किसी विक्रेता व्यवसायी द्वारा इसे स्वीकार किया जायेगा।
- (8) वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त से प्राप्त प्रत्येक घोषणा पत्र को निबंधित व्यवसायी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा और वह ऐसे किसी प्रपत्र के नुकसान, नष्ट होने या चोरी के लिए अथवा ऐसे नुकसान, नष्ट होने या चोरी के फलस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी राजस्व की होनेवाले क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।
- (9) प्रत्येक निबंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा पत्र निर्गत किया गया हो, ऐसे सभी प्रपत्रों का सही एवं पूर्ण लेखा एक पंजी प्रपत्र-VI में संधारित करेगा। अगर ऐसा कोई प्रपत्र नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाय तो व्यवसायी वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को तुरंत इस तथ्य की जानकारी देगा, पंजी प्रपत्र-VI A के टिप्पणी कॉलम में उचित प्रविष्टि करेगा और नुकसान, नष्ट या चोरी होने की सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए वैसा कदम उठायेगा जैसाकि वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा निदेशित किया जाय।

- (10) निबंधन प्रमाण पत्र के रद्दीकरण पर निबंधित व्यवसायी के भंडार में बचा उपयोग नहीं किया गया कोई घोषणा-पत्र वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित कर दिया जायेगा।
- (11) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन को छोड़कर, कोई निबंधित व्यवसायी जिसे वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त द्वारा घोषणा पत्र निर्गत किया गया हो, या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से इसे दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा।
- (12) घोषणा पत्र जिसका ब्यौरा आयुक्त द्वारा उप-नियम (13) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया हो, उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए मान्य नहीं होगा।
- (13) आयुक्त ऐसे घोषणा पत्र का विवरण जो उप-नियम (9) के अन्तर्गत नुकसान, नष्ट या चोरी हो जाना प्रतिवेदित हो या आयुक्त की राय में जिनके दुरुपयोग की आशंका हो, को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करेगा।
- (14)(क) आयुक्त अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि के प्रभाव से, किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा पत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित कर सकेगा।
- (ख) आयुक्त अन्य राज्य सरकारों को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु इस उप-नियम के खंड (क) में घोषित अमान्य एवं अप्रचलित घोषणा पत्रों के संबंध में सूचनाएँ उपलब्ध करा सकेगा।
- (15) जब किसी विशेष श्रृंखला, डिजाईन या रंग के घोषणा पत्र को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित करने हेतु उप-नियम (14) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित किया गया हो, तो सभी निबंधित व्यवसायी उस तिथि को या उस तिथि से पूर्व जब से प्रपत्रों को अमान्य एवं अप्रचलित घोषित किया गया है, उनके स्वामित्व में उस श्रृंखला, डिजाईन या रंग के उपयोग नहीं किये गये घोषणा पत्रों को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त के समक्ष समर्पित करेगा एवं अमान्य तथा अप्रचलित घोषणा पत्रों के स्थान पर प्रतिस्थानिक नया प्रपत्र प्राप्त करेगा।

परन्तु यह कि व्यवसायी को तब तक नया प्रपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा जब तक उसे जारी पुराने प्रपत्रों का संतोषजनक लेखा प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता हो एवं उपयोग नहीं किये गये घोषणा पत्र, यदि कोई हो तो, को वाणिज्य-कर पदाधिकारी, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त या वाणिज्य-कर उपायुक्त को वापस नहीं कर दिया जाता हो।”

#### 5. विधिमान्यकरण एवं व्यावृत्ति।-

- (i) केन्द्रीय बिक्री कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम 9, नियम 9क एवं 9ग में किये गये संशोधन, सभी प्रयोजनों हेतु 2012 के जुलाई की चौथी तारीख के प्रभाव से, सभी तात्विक समय से विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से, प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझे जाएंगे।
- (ii) उक्त नियमावली के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-05/2016-3842)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

#### 7 अक्टूबर 2016

एस० ओ० 264, एस०ओ० 263 दिनांक 7 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-05/2016-3843)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान-सचिव।

***The 7<sup>th</sup> October 2016***

S.O. 263, dated the 7<sup>th</sup> October 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957, namely-

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) These Rules may be called the Central Sales Tax (Bihar Amendment) Rules, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from 4<sup>th</sup> July, 2012.

**2. Amendment in rule 9 of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957.**—Rule 9 of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957 shall be substituted in the following way, namely-

**"9. Authority from which forms of declaration may be obtained, use, custody, and maintenance of records of such forms and matters incidental thereto.-**

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Commissioner may, by a notification issued in this behalf, specify the manner in which, and the conditions and restrictions subject to which, any of the declarations or, as the case may be, the certificates prescribed under sub-section (4) of section 5, or sub-section (2) of section 6, or sub-section (1) of section 6A, or sub-section (4) of section 8, or sub-section (8) of section 8 of the Act may be obtained *or* amended or cancelled.

Provided that the notification issued under this rule, may further specify the manner in which such forms shall be printed, issued and kept in custody and the manner in which any such form may be used and any such certificate of declaration may be furnished."

Provided further that commissioner shall prescribe the process of cancellation or amendmend for only those declarations or certificates which have been issued by the departmental software prior to 10th October 2015.

(1A) A registered dealer who wishes to purchase goods from another such dealer on payment of tax at the rates applicable under the Act to sales of goods by one registered dealer to another, for the purpose specified in the purchasing dealer's certificate of registration, shall obtain from the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes the form of declaration prescribed under sub-section (4) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956, and furnish it to the selling dealer. Before furnishing the declaration to the selling dealer, the purchasing dealer, or any person authorised by him in this behalf, shall fill in all required particulars in the form and shall also affix his signature in the space provided in the form for this purpose. Thereafter, the counterfoil of the form shall be retained by the purchasing dealer and the other two other portions marked "Original" and "Duplicate" shall be made over by him to the selling dealer.

Provided that if the registered dealer has at the time of making an application for supply of forms defaulted in furnishing any return or revised return, together with receipted challan or challans showing payment of tax due from him according to such return or revised return, the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes after giving him a reasonable opportunity of being heard may, for reasons to be recorded in writing withhold the issue of such forms to him until such time as he furnished such return or revised return together with such receipted challans, showing payment of tax due according to such return or revised return.

(2)(a) A registered dealer who claims to have made a sell to another registered dealer shall, in respect of such claim, attach to the return in Form I, the portion marked "Original" of the declaration received by him from the purchasing dealer or shall submit the said declaration up to the time of assessment by the first assessing authority.

Provided that if the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate within the aforesaid time, that authority may allow such declaration to be furnished within such further time as that authority may permit :

Provided further that when goods are delivered in instalments against one purchase order and a declaration in Form C covering the entire order is furnished along with the return for one period, declaration need not be furnished along with the return for subsequent period, in respect of the same transaction, if a reference to previous return or declaration is given in a Statement furnished with subsequent returns.

- (b) The selling dealer shall also maintain, serially and chronologically, a complete account in a register in Form IIA in respect of the forms of declaration received by him from the purchasing dealers.
- (c) The assessing authority may, in its discretion, also direct the selling dealer to produce for inspection the portion of the declaration marked "Duplicate".
- (3) No purchasing dealer shall give, nor shall a selling dealer accept, any declaration except in a form obtained by the purchasing dealer, on application, from the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes and not declared obsolete and invalid by the Commissioner under sub-rule (10).
- (4) Every form of declaration obtained from the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes by a registered dealer shall be kept by him in safe custody and he shall be personally responsible for the loss, destruction or theft of any such form or the loss of Government revenues, if any, resulting directly or indirectly from such loss, destruction or theft.
- (5) Every registered dealer to whom any form of declaration is issued by the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes shall maintain, in a register in Form II, a true and complete account of every such Form. If any such form is lost, destroyed, or stolen, the dealer shall report the fact to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes immediately, make appropriate entries in the remarks column of the register in Form II, and take such steps for the issue of a public notice of the loss, destruction or theft as the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes, may direct.
- (6) An unused form of declaration remaining in stock with a registered dealer on the cancellation of his certificate of registration shall be surrendered to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes.
- (7) No registered dealer to whom a form of declaration has been issued by the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes shall, either personally or through any other person, transfer the same to another person except for the purpose specified in sub-rule (1A).
- (8) A form of declaration of which the particulars are published by the Commissioner under sub-rule (9) shall not be valid for the purpose of sub-rule (1A).
- (9) The Commissioner shall publish in the official Gazette the particulars of the form of declaration which is reported under sub-rule (5) to have been lost, destroyed or stolen or which, in the opinion of the Commissioner, are likely to be misused.

- (10)(a) The Commissioner may by notification, declare that forms of declaration of a particular series, design or colour shall be deemed to be obsolete and invalid with effect from such date as may be specified in the notification.
- (b) The Commissioner may furnish information in respect of forms of declaration declared to be obsolete and invalid under clause (a) of this sub-rule to other State Governments for publication in the official Gazette.
- (11) When a notification declaring forms of declaration of a particular series, design or colour to be obsolete and invalid is published under sub-rule (10), all registered dealers shall, on or before the date with effect from which the forms are declared obsolete and invalid, surrender to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes all unused forms of that series, design or colour which may be in their possession and obtain in exchange such new forms as may be substituted for the forms declared obsolete and invalid:

Provide that new forms shall not be issued to a dealer until he has rendered a satisfactory account of the old forms issued to him and returned the unused ones, if any, to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes."

**3. Amendment in rule 9A of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957-**Rule 9A of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957 shall be substituted in the following way, namely-

**"9-A. Use, custody, maintain, etc. of records of certificate in Forms E-I and E-II-**

- (1) A registered dealer who claims exemption from tax in respect of any subsequent sale referred to in sub-section(2) of section 6 of the Act shall obtain from the registered dealer whom he purchased the goods, a certificate in Form E-I or Form E-II as the case may be, prescribed in sub-rule (2) of rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules :

Provided that no single certificate shall cover more than one transaction of sale except in cases where the total amount covered by one certificate does not exceed Rs. 5,000 or such other amounts as the Commissioner may, by notification in the official gazette specify.

- (2) Form E-I shall be used in respect of the sale exempted under sub-section (2) of section 6, which follows immediately the first sale and Form E-II shall be used in respect of all other subsequent sales exempted under the said sub-section.
- (3) For the purpose of sub-rule (1), a registered dealer shall obtain from the Commercial Taxes Officer, the Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes Form E-I or Form E-II, as the case may be, to the extent required by him and the said dealer shall maintain serially and chronologically, in a register in Form IV, a true and complete account of every such form received by him from the said authority.
- (4) Before furnishing any certificate referred to in sub-rule (1) to the registered purchasing dealer, the registered selling dealer or any person authorised by him in this behalf shall fill in all the required particulars in the certificate , affix his usual signature in the space provided in the certificate for this purpose and the counterfoil of the certificate shall be retained by the registered selling dealer and the other two portions of the certificate marked "Original" and 'Duplicate' shall be made over to the registered purchasing dealer.
- (5)(a) A registered dealer who claims that his subsequent sale to another registered dealer is not taxable under sub-section (2) of section 6 of the Act shall, in respect of such claim, attach to his return in Form I the certificate in Form E-I or E-II, as the case may be, received by him from the registered dealer from whom he made the purchase, along with the declaration referred to in sub-section (4) of section 8



- received by him from the registered dealer to whom he has made the subsequent sale.
- (b) The selling dealer shall maintain serially and chronologically, a true and complete account in Form IV-A in respect of all such certificates received by him.
  - (c) The Commercial Taxes Officer, the Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes, may in his discretion require the registered selling dealer to produce for inspection the portion marked "Duplicate" of the certificate in Form E-I or E-II.
- (6) No registered dealer shall give, nor shall a registered dealer accept, any certificate in Form E-I or Form E-II except in a Form obtained on application from the Commercial Taxes Officer, the Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes and not declared obsolete and invalid by the Commissioner.
  - (7) The provisions of sub-rules (4) to (12) of rule 9 relating to forms of declaration referred to therein shall except to the extent otherwise provided in this rule, apply mutatis mutandis to corresponding matters in respect of certificate, in Forms E-I and E-II."

**4. Amendment in rule 9C of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957.**—Rule 9C of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957 shall be substituted in the following way, namely-

**"9-C. Authority from which form of declaration F may be obtained, use, custody, and maintenance of records of such forms and matters incidental thereto.-**

- (1) A registered dealer who claims exemption from tax in respect of any sale referred to in sub-section (1) of section 6A of the Act shall obtain a declaration duly filled in Form F prescribed in sub-rule (5) of rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, by the principal officer of the other place of business or his agent or principal, as the case may be, of the transferee in the State in which the goods covered by such form are delivered.
- (2) Before furnishing any declaration referred to in sub-rule (5) of rule 12 of the Central Sales Tax (Registration and Turnover) Rules, 1957, to the selling dealer the purchasing dealer or the transferee, as the case may be, or any person authorised by him, shall fill in all required particulars in the form and shall affix his signature in the space provided in the form for the purpose.
- (3) The counterfoil of the form shall be retained by the purchasing dealer or transferee, as the case may be and, the other two portions marked "Original" and "Duplicate" shall be made over to the selling dealer or the transferor, as the case may be.
- (4) A registered dealer who claims exemption from tax in respect of any sale referred in sub-section (1) of section 6A of the Act shall, in respect of such claim attach to his returns in Form I the portion marked "Original" of the declaration in Form F received by him from the transferee in the State in which the goods covered by such form are delivered or shall submit the said declaration at any time before assessment by the first assessing authority.
- (5) The selling dealer or the transferor shall also maintain both serially and chronologically a complete account in a register in Form VI-A in respect of all forms of declaration received by him from the transferee.
- (6) The assessing authority may, in his discretion, also direct the selling dealer or the transferor to produce for inspection the portion of the declaration marked "Duplicate".
- (7) No purchasing dealer or the transferee, as the case may be, shall give, nor shall a selling dealer accept any declaration except in a form obtained by the purchasing dealer or the transferee, on application, from the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes and not declared obsolete and invalid by the Commissioner under sub-rule (14).

- (8) Every form of declaration obtained from the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes by a registered dealer shall be kept by him in a safe custody and the latter shall be personally responsible for the loss, destruction or theft of any such form or the loss of Government revenue, if any, resulting directly or indirectly from such loss, destruction or theft.
- (9) Every registered dealer to whom any form of declaration is issued by the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes shall maintain in a register in Form VI, a true and complete account of every such form. If any such form is lost, destroyed or stolen, the dealer shall in this respect report the fact to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes immediately and make proper entries in the remarks column of the register in Form VI-A and take such steps for issue of public notice of the loss, destruction or theft as the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes may direct.
- (10) Any unused form of declaration in stock with a registered dealer on the date of cancellation of his certificate of registration shall be surrendered to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes.
- (11) No registered dealer to whom a form of declaration has been issued by the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes shall either personally or through any other person transfer the same to another person except for the purposes of sub-rule (1).
- (12) A form of declaration of which the particulars are published by the Commissioner under sub-rule (13) shall not be valid for the purpose of sub-rule (1).
- (13) The Commissioner shall publish in the official Gazette the particulars of the form of declaration which is reported under sub-rule (9) to have been lost, destroyed or stolen or which, in the opinion of the Commissioner, are likely to be misused.
- (14)(a) The Commissioner may, by notification, declare that forms of declaration of a particular series, design or colour shall be deemed to be obsolete and invalid with effect from such date as may be specified in the notification.
- (b) The Commissioner may furnish information in respect of forms of declaration declared obsolete and invalid under clause (a) of this sub-rule to other State Governments for publication in their official Gazette.
- (15) When a notification declaring forms of declaration of a particular series design or colour to be obsolete and invalid is published under sub-rule (14), all registered dealers shall, on or before the date with effect from which the forms are declared obsolete and invalid, surrender to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes all unused forms of that series, design or colour which may be in their possession and obtain in exchange such new forms as may be substituted for the forms declared obsolete and invalid:

Provided that new forms shall not be issued to a dealer until he has rendered satisfactory account of the old forms issued to him and returned the unused ones, if any, to the Commercial Taxes Officer, Assistant Commissioner Commercial Taxes or the Deputy Commissioner Commercial Taxes."

**5. Validation and Saving.**—(1) The amendments made in rule- 9, rule- 9A and rule- 9C of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957 shall be deemed to have been in force and always be in force, for all purposes, validly and effectively for all material times with effect from the 4<sup>th</sup> day of July, 2012.

(2) Anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said rules shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or action taken.

(No.Bikri-kar/Sansodhan- 5/2016-3842)

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURWEDI,

*Commissioner Commercial Taxes-cum- Principal Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 831-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>